18.6.18 | पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 तहत मुकाम भुआस प्रस्तुत हुई।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी मोती S/o हेमा गाडरी नि० रामदेवनगर (भुआस) हाल रामपुरिया ने विपक्षीगण के विरुद्ध प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.A का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रामदेवनगर (भुआस) के सालिक आराजी नं. भूमि स्थित है।

551/1
0.21

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
	में प्रबन्धक हो जाने से साबिक आ० नं. $\frac{541/1}{0.21}$ भूमि के नवीन नं. $\frac{60/}{0.22}$ कायम किये गये। साबिक आ० नं. 541/1 रकबा 0.21 भूमि विपक्षी सांवर 1 व प्रार्थियां की माता सायलाती हक से 1/2 डाली के नाम थी रिकार्ड थी जिसमें 1/2 हिस्से से प्रार्थियां की माता डाली मय अपने 1/2 हिस्सा यानि की 0.11 बिस्वा भूमि पर डालु के जीवन काल में ही डाली देवा देवा गाडरी अपने हिस्से 1/2 पर काबिज होकर काश्त लाभ लेते आ रहे हैं। विपक्षी सांवर 1 के पिता ने प्रार्थियां की माता डाली को 1/2 हिस्सा का कब्जा सौंप दिया व प्रार्थियां व डाली प्रार्थिया की माता ने कब्जा प्राप्त कर प्रार्थियां व डाली काबिज होकर काश्त लाभ लेती आ रही है। विपक्षी सांवर 1 कालु के उक्त प्रार्थियां के हिस्से की भूमि का नामान्तर करवा अपने नाम से गलत खुलवा लिया। प्रार्थियां का प्रथम दृष्टया मामला होकर सुविधा सन्तुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थियां के पक्ष में है। प्रार्थियां के प्रा० पत्र में	

नम्बर व तारी[ख] अहकाम जो [हुए] हुक्म की ताम[ील] में जारी हु[ए]	
आरा[जी] 601 0.22	

रिलीफ चाही है कि प्रार्थीगण का प्रा० पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश इस आशय का जारी फरमाया जावे कि मूल वाद के निस्तारण तक ग्राम रामदेवनगर के आराजी संख्या 601 रकबा 0.22 है. भूमि में से कोई भी हिस्से को अन्य के पक्ष में हस्तान्तरित नहीं करे न प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करे व राजस्व रेकार्ड की यथा स्थिति रखी जावे।

प्रार्थीगण का प्रकरण इस न्यायालय में दिनांक 25.11.2013 को पंजिबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये।

विपक्षी नं. 1 की ओर से प्रा० पत्र का जवाब प्रस्तुत किया। प्रस्तुत जवाब के अनुसार प्रा० पत्र खारिज करने बाबत निवेदन किया। पेशकार हाजर औपचारिक पक्षकार है। उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रा० पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना के अनुसार प्रा० प० स्वीकार करने बाबत निवेदन किया। विपक्षी अधिवक्ता ने अपने (विपक्षी के) जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रा० पत्र को खारिज करने बाबत निवेदन किया।

मैंने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस पर मनन किया वर्तमान परिवेश में विपक्षी कालू पि० डालू गाडरी ग्राम रामदेवनगर प० ह० अभयास के आराजी नं. 601 रकबा 0.22 है. की भूमि का खातेदार है। अतः रेकार्डड खातेदार के विरुद्ध ~~विरुद्ध~~ विपक्षी यह न्यायालय प्रार्थीगण के पक्ष में विरुद्ध विपक्षीगण मूल वाद के ला फैसला तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित नहीं समझता है अतः प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला नहीं पाया जाता है। सुविधा सन्तुलन व

Contd

अनुसूचीय क्षति भी प्रार्थियां के पक्ष में नहीं है जात। उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थियां का प्रा० पत्र अस्वीकार योग्य पाया जाता है। अतएवं

आदेश

प्रार्थियां का प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.[illegible] का प्रार्थियां के द्वारा सिद्ध करने में असफल रहने से प्रा० पत्र खारिज किया जाता है। फैसल शुदा पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

[illegible]